



# मध्यप्रदेश राजापत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198]

भोपाल, शनिवार दिनांक 23 मई 2015—ज्येष्ठ 2, शक 1937

परिवहन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मई 2015

क्र. एफ 22-12-2015-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एटद्वारा, वास्तविक कृषकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाए जाने के लिये आशयित ऐसे ट्रेक्टर अनुयान, हार्वेस्टर कम्बाइन यानों पर, जो आगामी तीन वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत करवाए जाएं, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय जीवन काल कर की दर को 6 प्रतिशत के बजाय 1 प्रतिशत नियत करती है।

No. F. 22-12-2015-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby fix the rate of life time tax as 1% in lieu of 6% leviable under sub-section (1) of Section 3 of the said Act on such Tractor Trailer, Harvester combine vehicles which are owned by the persons other than bonafide agriculturists intended to be used for agricultural purposes and which shall be registered during next three years in the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.